अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / डी.सी.डी.सी. / 2018 / 142

रीवा, दिनांक : 2/11/2018

अत्यावश्यक

प्रति,

प्राचार्य
समस्त सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालय
अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

विषय :– **यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 2एफ एवं 12बी में पंजीयन की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।**

संदर्भ :– आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 1528 / 698 / आउशि / शा–1 / 2018 दिनांक 09–10–2018

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल के द्वारा वांछित जानकारी बाबत सूचित हो कि यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 2एफ एवं 12बी में पंजीयन की स्थिति की जानकारी विश्वविद्यालय के "ई–मेल" regapsu@gmail.com पर दो दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रेषित करें तथा एक प्रति हार्ड कापी कुलसचिव, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा को भी प्रेषित करें। साथ ही यह भी अवगत कराये कि अद्यावधि उक्तानुसार पंजीयन कारण सहित न होने की जानकारी भी दें। उक्त जानकारी महत्वपूर्ण होने के कारण समय–सीमा का विशेष ध्यान दिया जाय क्योंकि मय जानकारी दिनांक 11–11–2018 को प्रमुख सचिव महोदय के साथ कुलसचिव महोदय की बैठक आयोजित है।

संलग्न –

1. म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय पत्र।

आदेशानुसार,

कुलसचिव 2.11.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा सम्भाग, रीवा।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
3. कुलपति जी के सचिव।
4. कुलसचिव के निज सहायक।
5. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु उपलब्ध करायें।

अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 938 /1517/2018/38–3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/10/2018

1. कुलसचिव, (परम्परागत) विश्वविद्यालय, म.प्र.
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक (समस्त), उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

विषय– दिनांक 15.10.2018 को सम्पन्न वीडियो कॉफ्रेंसिंग में महाविद्यालयों का यू.जी.सी. की धारा–2(एफ), 12(बी) में पंजीयन के लिये दिये गये निर्देश संबंधी।

संदर्भ– इस कार्यालय का पत्र कमांक (1) 863/443/सीएमएस/आउशि/यो/18, दिनांक 04.07.2018, (2) कमांक 970/आउशि/यो/18, दिनांक 02.08.2018, (3) कमांक 1528/आउशि/शा.1/18, दिनांक 09.10.2018

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वीडियो कॉफ्रेंसिंग में की गई समीक्षा में प्रदान किये गये निर्देश के अनुसार समस्त महाविद्यालयों का यू.जी.सी. की धारा–2(एफ) में पंजीयन किया जाना सुनिश्चित करना है। इसी प्रकार 5 वर्षों से अधिक अवधि के महाविद्यालयों का यू.जी.सी. की धारा–12(बी) में पंजीयन सुनिश्चित किया जाना है। उक्त के संबंध में संदर्भित पत्रों के द्वारा पूर्व में भी निर्देश दिये गये हैं। संतोषजनक प्रगति नहीं पाये जाने के कारण अब निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

P/3328
30/10/18

1. विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक एवं कुलसचिव की एक संयुक्त बैठक गैर पंजीकृत महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ आयोजित की जाये तथा बैठक में प्रकरणवार परीक्षण करते हुये कार्यवाही की जाये। यह बैठक नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाये।
2. उक्त बैठक उपरांत महाविद्यालयावार प्रकरण की स्थिति की जानकारी के साथ प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 16.11.2018 को प्रातः 11:00 बजे नवीन मंत्राल्य भवन मे, प्रमुख सचिव के सभा कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें।

30-10-18
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 30/10/2018

पृष्ठां.क. 939/1517/2018/38–3
प्रतिलिपि–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
3. आई.टी.सेल को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।

30-10-18
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग